


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::

निम्नांकित संस्था प्रधानों (मावि/उमावि) को उनके नाम के सम्मुख अंकित परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु विभाग में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया है। यदि उक्त परीक्षा/साक्षात्कार में इनका चयन हो जाता है, तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। विभाग छोड़ने से पूर्व इन्हे विभागीय नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करनी होगी :-


क्र० स०	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	परीक्षा का नाम	संस्था
1	श्री महेन्द्र सिंह नेहरा, राआउमावि, कून्दवा देवगढ जिला राजसमन्द	आर०ए०एस० परीक्षा-2018	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5-6-8/अनापत्ति/2017 दिनांक : 14-2-19

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. राजस्थान लोक सेवा आयोज, अजमेर
2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर संभाग, उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, राजसमन्द
4. प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, कून्दवा देवगढ
जिला राजसमन्द
5. श्री महेन्द्र सिंह नेहरा, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, कून्दवा
देवगढ जिला राजसमन्द
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
7. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-2-7/विदेश यात्रा/2019

दिनांक : 14-02-19

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
पंचायत समिति, खीवसर(नागौर)

विषय :- विदेश यात्रा की अनुमति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमती रीता पारीक प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय भोजास-खीवसर (नागौर) दिनांक 05.03.19 से 30.04.19 तक कुल 57 दिवस स्वयं के खर्चे पर विदेश "ब्राहमटन(BRAMOTON) टोरटों कनाडा जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है :-

1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
2. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृत नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. विदेश से भेजा गया "त्याग पत्र" स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
5. उक्त कर्मचारी सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात् ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात् संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
6. विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
7. विदेश प्रवास के दौरान जहाँ-जहाँ पर रहेंगे उनके पते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावेंगे।
8. विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
9. यात्रा का समस्त खर्चा स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
10. (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं हैं।
(ब) कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं हैं।
(स) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हो।
(द) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तान्तरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि : 1. श्रीमती रीता पारीक प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय भोजास-खीवसर (नागौर) को सूचनार्थ

2. कल्पेश्वर अ. उ.

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर